



श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518 न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर-452007

Phone: 0731-2432822, Fax: 0731-2536600

Email: [lcmpenf@mp.gov.in](mailto:lcmpenf@mp.gov.in) Website: <http://labour.mp.gov.in>


क्रमांक 03/05/नवम/प्रवर्तन/2020/46120-72, इन्दौर, दिनांक 22-12-2020  
प्रति,

- 1 समस्त सहायक श्रमायुक्त, संभागीय श्रम कार्यालय, (म.प्र.)
- 2 समस्त श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक, जिला श्रम कार्यालय, (म.प्र.)

विषय:- ठेकेदारों की अनुज्ञप्ति एवं नवीनीकरण बाबद।

उपर्युक्त विषयक मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 20.08.2020 अवलोकन करें। जिसमें ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत ठेका कार्य हेतु " 50 से कम संविदा श्रमिक नियोजित करने हेतु अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है " अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था।

उक्त के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में 20 या 20 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले ठेकेदारों तथा संस्थानों को अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन तथा नवीनीकरण के कार्य को श्रम सेवा पोर्टल पर प्रारंभ कर दिया गया है। उपर्युक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

  
22/12/2020  
(आशुतोष अवस्थी)  
श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश इन्दौर